राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1661/2024

उत्तम सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)–द्वितीय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन–2, सिविल लाईन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.04.2024
आदेश की दिनांक : 18.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई बीटेक सिविल डिग्री पदोन्नति एवं वरिष्ठता में विचार करते हुये समस्त लाभ दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें डिग्री एवं डिप्लोमा होल्डरधारी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें अपीलार्थी ने भी आवेदन किया और चयनोपरांत अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखंड खेतडी, जिला झुंझुनू में आदेश दिनांक 04.01.2016 के द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी आवेदन करते वक्त डिप्लोमाधारी था और अपीलार्थी ने डिग्री भी अर्जित की है, जो नियुक्ति से पूर्व अपीलार्थी ने अर्जित कर ली थी। परंतु अपीलार्थी की

वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में उक्त डिग्री योग्यता पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 18.02.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई एसएलपी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम बिमला देवी सैनी एसएलपी संख्या 26449/2020 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के द्वारा एसएलपी खारिज कर दी गई और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को उचित माना है, जिसमें नियुक्ति से पूर्व अर्जित की गई योग्यता पर पदोन्नति एवं वरिष्ठता के संबंध में विचार किया जाना सही माना है। इसी प्रकार पवन कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7703/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 17382/2019 शैलेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 में इस प्रकार अर्जित की गई योग्यताओं पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाना अनुचित माना है। अतः अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त प्रकरण के मामले के समान है। परंतु विभाग द्वारा उसकी योग्यता पर विचार नहीं किया गया, जो उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई बीटेक सिविल डिग्री पदोन्नति एवं वरिष्ठता में विचार करते हुये समस्त लाभ दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभाग द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2014 हेतु दिनांक 30.09.2014 को जारी विज्ञापन के क्रम में अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी पद के विरूद्ध आवेदन किया गया और अपीलार्थी का चयन हुआ। पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही दिनांक 25.08.2015 को डिग्री की योग्यता अर्जित की जा चुकी थी, परंतु अपीलार्थी ने इस संबंध में कोई प्रमाण/अंकन नहीं किया और इस प्रकार डिग्रीधारी होने का तथ्य छिपाया है। कार्मिक विभाग के मार्गदर्शानुसार विज्ञप्ति के अनुसार कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी के पद पर आवेदन किया है और डिप्लोमाधारी के पदों के विरूद्ध ही उसका चयन माना जायेगा और इस प्रकार उसकी अभ्यर्थिता डिग्रीधारियों में शामिल किया जाना संभव नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें डिग्री एवं डिप्लोमा होल्डरधारी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें अपीलार्थी ने भी डिप्लोमा होल्डर श्रेणी में आवेदन किया और चयनोपरांत अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर उपखंड खेतडी, जिला झुंझुनू में आदेश दिनांक 04.01.2016 के द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी आवेदन करते वक्त डिप्लोमाधारी था एवं एएमआईई से डिग्री हेतु अध्ययनरत अर्थात् आवेदन के समय मात्र डिप्लोमाधारी था। यह सही है कि नियुक्ति से पूर्व अपीलार्थी ने डिग्री अर्जित कर ली थी। जहां तक अपीलार्थी द्वारा डिग्री योग्यता अर्जित उपरांत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी योग्यता को पदोन्नति एवं वरिष्ठता आदि में विचार नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी के पद पर आवेदन किया गया है और डिप्लोमाधारी के पदों के विरूद्ध ही उसका चयन माना जायेगा और उसकी अभ्यर्थिता डिग्रीधारियों में शामिल किया जाना संभव नहीं है। परंतु दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2014 हेतु दिनांक 30.09.2014 को जारी विज्ञापन के क्रम में अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी पद के विरूद्ध आवेदन किया गया और अपीलार्थी का चयन हुआ है। अब चयन प्रक्रिया के दौरान आवेदन तिथी के पश्चात् एवं नियुक्ति से पहले अपीलार्थी के पास बीटेक सिविल इंजीनियर में डिग्री उपलब्ध हो चुकी है और इस प्रकार अपीलार्थी अपनी नियुक्ति डिप्लोमाधारी से डिग्रीधारी कैडर में परिवर्तित करवाना चाहता है। ऐसे मामलो में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 419/2015 चारू जोशी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.01.2016 में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"In the present case, the petitioner on the date of application was only had the qualification of Diploma Holder, even though he was undergoing A.M.I.E. Course and was in the final year. If the petitioner had applied, there was no guarantee that he would have qualified. The only surety, in his hands, was that he was a Diploma Holder and had a reasonable opportunity of being appointed as Junior Engineer (Diploma Holder). In case, he did not qualify in the degree course, he would have lost the opportunity under the Diploma quota as well. Rule 6(1A) only specifies that in case a Junior Engineer (Diploma Holder) attained qualification, he shall be entitled to be appointed as Junior Engineer (Degree Holder) by way of transfer against the quota of direct*

> *recruitment only on availability of a vacancy. Non-consideration of his candidatures was on the ground that he did not apply in the advertisement under the Degree Holder quota and especially since he was already undergoing the third/final year examination is not tenable in view of the fact that the petitioner would be entitled to transfer only in case there is a vacancy and then of course the seniority would be reckoned as per rules.*
>
> *In view of the above, the above noted writ petition is allowed with the direction to the respondent to consider the case of the petitioner for transfer in the quota of direct recruitment of Junior Engineer (Degree Holder) by way of transfer in case there is a vacancy and to compute his seniority according to the Rules."*

बिमला देवी सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7330/2016 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 भी उसी अनुरूप निर्णित हुआ। इस प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी (सिविल) संख्या 26440/2020 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम बिमला देवी सैनी को खारिज किया गया। नियम 1967 के नियम 6(1A) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

> "***6. Methods of Recruitment: -*** *Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion as indicated in column 3 of the schedule -*
>
> *(a) direct recruitment in accordance with part IV of these rules, and*
>
> *(b) Promotion (in accordance with Part V) of these rules) :*
>
> *Provided -*
>
> *(1) that if the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Commission, where necessary, that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules;*
>
> *(1A) if a Diploma Holder Junior Engineer attains the qualifications of B.E. (Civil/Mechanical/Electrical), or AMIE, he shall be entitled on his application and subject to availability of vacancy, to be appointed as direct recrutiment but in that case his seniority amongst the Junior Engineers (Degree Holders) shall be determined from the date of occurrence of vacancy against which such Junior Engineer has been appointed on the post of Junior Engineer (Degree Holder) and one third of his previous experience shall be counted as experience on the post of Junior Engineer for the purpose of promotion to the next higher post."*

उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय एवं नियम 1967 के नियम 6(1A) के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय ने अभियंता सेवा को डिप्लोमाधारी कैडर से डिग्रीधारी कैडर

में परिवर्तित करना उचित माना है और इस प्रकार अपीलार्थी अपनी नियुक्ति डिप्लोमाधारी कैडर से डिग्रीधारी कैडर में परिवर्तित करवाने का हकदार है। इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर अपीलार्थी की कनिष्ठ अभियंता की सेवायें डिग्रीधारी कैडर में मानी जाना उचित प्रकट होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई एसएलपी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम बिमला देवी सैनी एसएलपी संख्या 26449/2020 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2021 के द्वारा एसएलपी खारिज कर दी गई और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को उचित माना है, जिसमें आवेदन तिथी के पश्चात् परंतु नियुक्ति से पूर्व अर्जित की गई योग्यता पर पदोन्नति एवं वरिष्ठता के संबंध में विचार किया जाना सही माना है। इसी प्रकार पवन कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7703/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 17382/2019 शैलेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 में न्यायिक दृष्टांत पारित किये हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं उक्त नियमों को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई बीटेक सिविल डिग्री योग्यता के आधार पर उसकी सेवा को कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी कैडर से डिग्रीधारी कैडर में परिवर्तित करते हुये उसकी आगामी वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में विचार किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य